

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

—: अधिसूचना :—

अधि० सं०-01-(स्था०)-सू०प्रा०-13/2023..... पटना, दिनांक:-.....

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 के अधीन निःशक्तता के आधार पर विभेद संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु स्थापना के वरीय पदाधिकारी को शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।

2. उक्त के क्रम में श्री अंजन कुमार गुप्ता, अवर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (मो०-9430830422) को सम्प्रति निःशक्तता के आधार पर विभेद संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

3. प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अंजन कुमार गुप्ता)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 01-(स्था०)-सू०प्रा०-13/2023..... पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 01-(स्था०)-सू०प्रा०-13/2023..... पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव कोषांग/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 01-(स्था०)-सू०प्रा०-13/2023..... **607**..... पटना, दिनांक:- **25/3/25**.....

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।